

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्यधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, हथगाम, (फतेहपुर)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना' के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत, हथगाम, (फतेहपुर) के पत्र संख्या-71/न0पं0 हथगाम/वर्ष 2016-17/दिनांक 25.01.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय 'पोखर संरक्षण योजना/तालाब/झील के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में नगर पंचायत हथगाम जनपद फतेहपुर में स्थित तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु रु. 177.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 25.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-337/2016-3465/नौ-5-2016-208बजट/2016 दिनांक 25.11.2016 द्वारा भवगुप्त की गई है, का व्यय हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में रु0 80.00 (रु. अस्सी लाख मात्र) लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवगुप्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिनाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय पत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शारान तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
 11. विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथागत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैरो-नये कार्यों में वृद्धि, एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 12. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
- 2- स्वीकृत की गयी धनराशि का द्वय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-07-नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भक्षेदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।

संख्या-42/2017-481/नौ-5-2017-208बजट/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद ।
- 2- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद ।
- 3- जिलाधिकारी, फतेहपुर ।
- 4- कोषाधिकारी, फतेहपुर ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, नगर पंचायत, हथगाग, (फतेहपुर)।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
- 8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-21/02/2017


प्रेषण संख्या:- 42
आवंटन आदेश संख्या:- 001-42-2017-481-9-5-2017-208B-2016
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फतेहपुर-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 10500000	8000000 10500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8000000 10500000	8000000 10500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अस्सी लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पाँच लाख


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी